

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax& 05964-225234

पत्रांक:-6034/12-1

दिनांक, पिथौरागढ़,

18 फरवरी, 2022।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोडा।

विषय :-

सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त प्रस्ताव संख्या **FP/UK/ROAD/8091/2014**, डीडीहाट से पमस्यारी मोटर मार्ग में विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

कार्यालय- अपर प्रमुख मुख्य, वन संरक्षक देहरादून, उत्तराखण्ड के कार्यालय पत्रांक

08बी/यू0सी0पी/06/30/2015/एफ0सी0/2560, दिनांक 08.03.2016, व प्रस्तावक विभाग का पत्रांक

997/ग्रा0नि0वि0/ पी0एम0जी0एस0वाई0 /2021-22 दिनांक:: 16.02.2022।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने उपरान्त मोटर मार्ग प्रस्ताव संख्या **FP/UK/ROAD/8091/2014**, डीडीहाट से पमस्यारी में विधिवत स्वीकृति हेतु अधिरोपित शर्तों का विन्दुवार अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा निम्नानुसार किया गया है।

क्र0स0	विधिवत की शर्तें	शर्तों का अनुपालन
1.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 11.714 है0 पमस्यारी सिविल सोयम भूमि वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशी (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जाएगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर हैं अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	शर्त संख्या 01 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 11.714 है0 पमस्यारी सिविल सोयम भूमि वन विभाग के नाम नामान्तरित/हस्तान्तरित की जा चुकी है, तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु रु0 2697757 (छब्बीस लाख सत्तानवे हजार सात सौ सत्तावन रु0) मात्र सम्बन्धित विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है, एवं सम्बन्धित भूमि वन विभाग के नाम नामान्तरित/हस्तान्तरित की जा चुकी है। [म्यूटेशन रिपोर्ट संलग्न]
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	शर्त संख्या 02 के अनुपालन में विभाग द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये निर्देशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0बी0) रु0 4094043 (चालिस लाख चौरानबे हजार तैरालिस रु0) मात्र की धनराशि निर्धारित खाते में जमा की जा चुकी है। [संलग्न- डिमाण्ड नोट सत्यापित प्रति]
3.	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन वद्धता प्रस्तुत की जाय।	शर्त संख्या 03 के अनुपालन में विभाग वचनबद्ध होगा कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0बी0 की दरों में बढ़ोतरी होती है, तो विभाग द्वारा धनराशि जमा करायी जायेगी। [संलग्न- प्रमाण पत्र]
4.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के द्वारा दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाता संख्या 0371001025229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लॉक -11 भूतल,	शर्त संख्या 04 के अनुपालन में भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये निर्देशानुसार एन0पी0बी0 तथा दूसरी सभी निधिया प्रति पूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के निर्धारित खाता संख्या में जमा करायी जा चुकी है। (भुगतान प्रति संलग्न)।

	सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड नई दिल्ली-110003 में जमा कराया जाए एवं इस कार्यालय को सूचित किया जाय।	
5.	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां संभव हो सड़क के दानों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग देख रेख में Strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	शर्त संख्या 05 के अनुपालन में विभाग द्वारा निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ संभव हो सड़क के दोनों किनारों, तथा Central Verge पर अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation किया जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त विधिवत स्वीकृति हेतु अन्य आवश्यक शर्तों का भी अनुपालन किया जाएगा।

1.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न।
2.	एन.पी.बी. की दरों में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.बी. देने के लिए बाध्य होगी।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न।
3.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न।
4.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न।
4.	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward and Back bearing अंकित किया जायेगा।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न।
5.	सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip plantation की जायेगी।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न।
7.	परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न।
8.	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये प्रयोजन के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना ज़ंदांमिद नहीं किया जाएगा।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न।
9.	Minimum no. of trees will be felled which may not exceed 433 in any case. However, initially permission to fell only 301 trees will be granted by the state forest department as proposed by the user agency. The permission for felling of trees in excess of 301(not exceeding 433 in any case) will be given by DFO under exception circumstances under intimation to the regional office.	वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न।
10.	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न।

	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्तएजेंसी की जिम्मेदारी होगी। यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तों का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न।
12.	यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तों का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न।

संलग्न:- यथोपरि ।

भवदीय,


प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़, वन प्रभाग पिथौरागढ़।



प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना



/ फ़ैक्स नं० 05964-232036

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
पी०एम०जी०एस०वाई०, डीडीहाट (पिथौरागढ़)

ई-मेल:- (1) eepmgsydidihat@rediffmail.com

(2) exen.res.pmgisy.pth.@gmail.com

पत्रांक:- 997 ग्रा०नि०वि० / पी०एम०जी०एस०वाई० / 2021-22

दिनांक: 16 - 02 - 2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,

पिथौरागढ़, वन प्रभाग पिथौरागढ़।

विषय :- खण्ड के अन्तर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त प्रस्ताव संख्या **FP/UK/ROAD/8091/2014**, डीडीहाट से पमस्यारी मोटर मार्ग में विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- कार्यालय- अपर प्रमुख मुख्य, वन संरक्षक देहरादून, उत्तराखण्ड के कार्यालय पत्रांक 08बी/यू०सी०पी/०६/३०/२०१५/एफ०सी०/२५६०, दिनांक ०८.०३.२०१६ द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक खण्ड के अन्तर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने उपरान्त मोटर मार्ग प्रस्ताव संख्या **FP/UK/ROAD/8091/2014**, डीडीहाट से पमस्यारी में विधिवत स्वीकृति हेतु अधिरोपित शर्तों का विन्दुवार अनुपालन निम्नानुसार किया गया है।

क्र०स०	विधिवत की शर्तें	शर्तों का अनुपालन
1.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 11.714 है० पमस्यारी सिविल सोयम भूमि वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जाएगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर हैं अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	शर्त संख्या 01 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 11.714 है० पमस्यारी सिविल सोयम भूमि वन विभाग के नाम नामान्तरित/हस्तान्तरित की जा चुकी है, तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु रु० 2697757 (छब्बीस लाख सत्तानवे हजार सात सौ सत्तावन रु०) मात्र सम्बन्धित विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है, एवं सम्बन्धित भूमि वन विभाग के नाम नामान्तरित/हस्तान्तरित की जा चुकी है। [म्यूटेशन रिपोर्ट संलग्न]
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	शर्त संख्या 02 के अनुपालन में विभाग द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये निर्देशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) रु० 4094043 (चालिस लाख चौरानबे हजार तैरालिस रु०) मात्र की धनराशि निर्धारित खाते में जमा की जा चुकी है। [संलग्न- डिमाण्ड नोट सत्यापित प्रति]
3.	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाय।	शर्त संख्या 03 के अनुपालन में विभाग वचनबद्ध होगा कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दरों में बढ़ोतरी होती है, तो विभाग द्वारा धनराशि जमा करायी जायेगी। [संलग्न- प्रमाण पत्र]
4.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के द्वारा दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMP) के तदर्थ निकाय खाता संख्या 0371001025229 कार्पोरेशन	शर्त संख्या 04 के अनुपालन में भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये निर्देशानुसार एन०पी०वी० तथा दूसरी सभी निधिया प्रति पूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के निर्धारित खाता संख्या में जमा करायी जा चुकी है। (भुगतान प्रति संलग्न)।

	बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लॉक -11 भूतल, सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज-1,लोधी रोड नई दिल्ली-110003 में जमा कराया जाए एवं इस कार्यालय को सूचित किया जाय।	
5.	सड़क निर्माण के पश्चात जहां संभव हो सड़क के दानों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग देख रेख में Strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	शर्त संख्या 05 के अनुपालन में विभाग द्वारा निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों, तथा Central Verge पर अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation किया जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त विधिवत स्वीकृति हेतु अन्य आवश्यक शर्तों का भी अनुपालन किया जाएगा।

1.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न।
2.	एन.पी.बी. की दरों में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.बी. देने के लिए बाध्य होगी।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न।
3.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न।
4.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न।
4.	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward and Back bearing अंकित किया जायेगा।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न।
5.	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip plantation की जायेगी।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस/ कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुंचे।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न।
7.	परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न।
8.	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये प्रयोजन के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना ज़ंदांमिती नहीं किया जाएगा।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न।
9.	Minimum no. of trees will be felled which may not exceed 433 in any case. However, initially permission to fell only 301 trees will be granted by the state forest department as proposed by the user agency. The permission for felling of trees in excess of 301(not exceeding 433 in any case) will be given by DFO under exception circumstances under intimation to the regional office.	वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न।
10.	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न।
11.	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी। यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तों का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तों का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न।

उक्त के अतिरिक्त जो भी आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित होगी विभाग द्वारा अनुपालन किया जायेगा। अतः अनुरोध करना है कि उक्त मोटर मार्ग में विधिवत् स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।
भवदीय,


अधिसूची अभियन्ता,
ग्रा0नि0वि0, पी0एम0जी0एस0वाई0,
डीडीहाट (पिथौरागढ़)।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: -

- 1- अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कालौनी, इन्द्रानगर, देहरादून, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 2- मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, (कु0क्षे0) लो0नि0वि0, अल्मोड़ा, को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- मुख्य अभियन्ता, यू0आर0आर0डी0ए0, देहरादून, को सूचनार्थ प्रेषित।


अधिसूची अभियन्ता,
ग्रा0नि0वि0, पी0एम0जी0एस0वाई0,
डीडीहाट (पिथौरागढ़)।